Topic 1 :– कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना अधिग्रहण होगा असंवैधानिक', सुप्रीम कोर्ट

चर्चा में क्यों :– हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने "कोलकाता नगर निगम और अन्य बनाम बिमल कुमार शाह एवं अन्य" मामले में निर्णय दिया है की निजी संपत्ति के अधिग्रहण में कानूनी प्रक्रिया को अपनाया जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि :–

- अगर किसी व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से वंचित करने से पहले उचित कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई तो निजी संपत्तियों का अनिवार्य अधिग्रहण असंवैधानिक होगा।
- कोर्ट ने आगे अपने निर्णय में कहा कि यदि राज्य और उसकी मशीनरी द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तो निजी संपत्तियों के अधिग्रहण के बदले मुआवजे के भुगतान की वैधानिक योजना भी उचित नहीं होगी।
- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता नगर निगम की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमे नगर निगम ने कोलकाता हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी थी।
- इस अपील की सुनवाई जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ कर रही थी
- जिसने टिप्पणी करते हुए कोलकाता नगर निगम की अपील को खारिज कर दिया ।
- कोलकाता शहरी निकाय शहर में एक पार्क के निर्माण के लिए नारकेलडांगा नॉर्थ रोड पर एक संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहती थी । जिस पर को है कोलकाता हाई कोर्ट ने इस संपत्ति का अधिकरण करने पर रोक लगा दी।
- इसी हाई कोर्ट के द्वारा लगाई गई यूरोप को हटाने के लिए कोलकाता शहरी निकाय सुप्रीम कोर्ट गई थी

Result Mitra

- हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में आदेश दिया था कि नगर निगम के पास अनिवार्य अधिग्रहण के लिए एक विशिष्ट प्रविधान के तहत कोई शक्ति मौजूद नहीं है।

- शीर्ष कोर्ट ने अपने निर्णय में अनुच्छेद 300ए का उल्लेख किया। इस अनुच्छेद के तहत भूमि मालिक को प्रक्रियात्मक अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं।

- इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य का कर्तव्य होगा कि वह जिस संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहती है सबसे पहले संबंधित व्यक्ति को सूचित करे कि वह उसकी संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहता है।

- साथ ही राज्य का कर्तव्य है की वह अधिग्रहण पर आपत्तियों को भी सुने।

अनुच्छेद 300A :- इस अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि "किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के प्राधिकार (कानून की उचित प्रक्रिया) से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।"

भारत में संविधान में "संपत्ति के अधिकार" का उल्लेख :-

जब भारत का संविधान मूल रूप से लागू हुआ तब अनुच्छेद 19 (1) (f) और 31 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया था

परंतु 1951 में हुए संविधान में प्रथम संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31A को जोड़ा गया।

इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण को अनुच्छेद 14 और 19 के तहत प्रदत मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है।

1978 में हुए 44वे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 19 (1) (f) और अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया। जिसके तहत "संपत्ति के अधिकार" को मूल अधिकार से हटा दिया गया।

1978 में हुए 44वे संविधान संशोधन द्वारा "संपत्ति के अधिकार" को अनुच्छेद 300A के तहत एक संवैधानिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में अभी संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है ना की मौलिक अधिकार।

अनुच्छेद 300A के तहत प्राप्त सात बुनियादी प्रक्रियागत उप-अधिकार या कर्तव्य इस प्रकार है:-

Result Mitra

पहला :– नोटिस प्राप्त करने का अधिकार :- राज्य का यह कर्तव्य होगा की वह जिस व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहती है उसे इस बात की सूचना दी जाए कि राज्य उस व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहता है

दूसरा :– सुनवाई का अधिकार :- राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह जिस व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहती है उसे व्यक्ति की आपत्तियों को पहले सुने

तीसरा:– तार्किक निर्णय का अधिकार :- राज्य का यह दायित्व और कर्तव्य दोनों है कि वह संपत्ति का अधिकरण करने से पहले अपने निर्णय के बारे में उसे व्यक्ति को सूचित करें जिनकी संपत्ति का अधिकरण वह करना चाहती है

चौथा:– राज्य का यह कर्तव्य होगा कि :- किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि जिस संपत्ति का अधिग्रहण किया जा रहा है उसका उपयोग केवल सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए ही किया जाए

पांचवा :– मुआवजा या प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार :- जिस व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण किया जा रहा है उसे व्यक्ति को मुआवजा या प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा

छठवा :– राज्य का यह कर्तव्य है कि :- अधिग्रहण की प्रतिक्रिया को पारदर्शिता पूर्वक दक्षता पूर्वक और निर्धारित समय सीमा के भीतर समय सीमा के भीतर पूरा करें

सातवा :– निर्णय तक पहुंचने का अधिकार

Topic 2 :– प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)

चर्चा में क्यों :– हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान निर्णय दिया है कि किसी भी प्रकार के मामले में चाहे वह UAPA संबंधित हो जांच एजेंसियों को गिरफ्तारी का लिखित आधार बताना होगा।

Result Mitra

- यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) मामले में दिया गया है

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि गैर-कानूनी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA) मामले में गिरफ्तार किए गए न्यूज़क्लिक के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी अमान्य और गैर कानूनी है।

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा की दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रदीप पुरकायस्थ को गिरफ्तार करने से पहले उन्हें गिरफ्तार करने के कारणों की जानकारी देनी चाहिए थी ऐसा करने में दिल्ली पुलिस असफल रही है

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा:-

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पंकज बंसल बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले का उल्लेख करते हुए कहा की इस मामले में अनिवार्य किया गया है की किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार करने से पहले उसे गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप में बताया जाना चाहिए। यह आदेश सभी प्रकार की गिरफ्तारियां के साथ ही UAPA, 1967 के तहत दर्ज मामलों पर भी लागू होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पूर्व के निर्णय में कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तारी का आधार अनिवार्य रुप से बताया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 22 (1) और 22 (5) :- भारतीय संविधान के यह दोनों अनुच्छेद भी हिरासत में लेने संबंधी प्रावधान बताते है

अनुच्छेद 22 (1) और 22 (5) में इन दोनों अनुच्छेदों के द्वारा किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने से पहले उसे की जाने वाली सूचना को अनुल्लंघनीय बनाया है साथ ही भारतीय संविधान तथा कानून में उल्लेख है कि किसी भी आधार पर इस प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 (1) में प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है या गिरफ्तार किया जाना है। ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से उस व्यक्ति को यथाशीघ्र अवगत कराए बिना हिरासत में नहीं रखा जा सकता ।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 (5) प्रावधान कार्य है की जब किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के उपबंध के तहत हिरासत में लिया जाता है या लिया जाएगा, तब हिरासत में लिए गए व्यक्ति को प्राधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए आधारों के बारे में जितना जल्दी हो सके, उस व्यक्ति को सूचित करेगा। तथा जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उसको अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा।

Result Mitra

Topic 3 :– ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज :– सार्क

सार्क :– दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन

SAARC:– The South Asian Association for Regional Cooperation

सार्क की स्थापना :– 8 दिसंबर,1985 को

स्थापना स्थल :– ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से ।

सार्क का मुख्यालय एवं सचिवालय :– नेपाल के काठमांडू में ।

इस संगठन के सात संस्थापक देश है - भारत, मालदीव,नेपाल,बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान एवं श्रीलंका

इन सभी देशों के विदेश सचिवों ने आपसी सहमति के साथ पहली मुलाकात अप्रैल 1981 में कोलंबिया में की

इस संगठन में शामिल होने वाला अफगानिस्तान सबसे नया सदस्य था। अफगानिस्तान इस संगठन में 2005 में इसके 13 वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान शामिल हुआ।

वर्तमान में इस संगठन में 8 सदस्य देश और 9 पर्यवेक्षक सदस्य शामिल है

9 पर्यवेक्षक सदस्य देश (i) जापान (ii) म्याँमार (iii) यूरोपियन यूनियन (iv) ईरान (v) ऑस्ट्रेलिया (vi)संयुक्त राज्य अमेरिका (vii) मॉरीशस (viii) चीन (ix)रिपब्लिक ऑफ कोरिया ।

Result Mitra

सार्क इन क्षेत्रों पर अधिक सक्रीय रहता है :-

1.उर्जा
2.सुरक्षा
3.विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
4.कृषि एवं ग्रामीण विकास
5.पर्यटन एवं मानव संसाधन विकास
6.पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा
7.सूचना एवं गरीबी उन्मूलन
8.आर्थिक मुद्दे
9.शिक्षा एवं संस्कृति और अन्य

प्रमुख अंग

सार्क सचिवालय :-

स्थापना 16 जनवरी, 1987 को काठमांडू में ।

सचिवालय में महासचिव प्रमुख होता है जिसकी सहायता के लिए सात निर्देशक एवं सामान्य सेवा कर्मचारियों को शामिल किया जाता हैं।

महासचिव रोटेशन पद्धति पर नियुक्त किया जाता है जिसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है ।

राष्ट्र प्रमुखों की बैठक
यह इस संगठन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जिसमें सदस्य देशों के शीर्ष नेता नियमित रूप से मिलते हैं।

चुनौतियाँ :-

- इस संगठन की मीटिंग समय पर ना होना
- भारत-पाक संबंध: भारत-पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध न होने के कारण इस संगठन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है

Result Mitra